संख्या-I/1254603/2026 /133/2026235/11-5-2026

प्रेषक,

श्याम प्रकाश नारायण,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,

राज्य कर,

उ०प्र० लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 27-02-2026

**विषयः फिल्म "शतक-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष" को प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1252/प्र०क०-2/2025-26 दिनांक 23-02-2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फिल्म "शतक-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष" को मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश संख्या-612/11 -6-2017-एम(43)/17 दिनांक 09.08.2017 में उल्लिखित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) फिल्म के प्रदर्शन के लिये सम्बंधित सिनेमा/मल्टीप्लेक्स की प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी और न ही विभिन्न क्लास के आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा ।

(2) प्रदेश में, फिल्म को एक समय में अधिकतम 200 प्रिंट वीक की समय सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति इस प्रकार की जा सकेगी कि फिल्म की संख्या एवं सप्ताह की संख्या का गुणांक 200 प्रिंट/स्क्रीन वीक से अधिक नहीं होगा। इस सम्बंध में स्पष्ट करना है कि यदि प्रदेश में 200 प्रिंट द्वारा फिल्म का

प्रदर्शन एक साथ किया जाता है तो प्रतिपूर्ति की अवधि एक सप्ताह के लिये होगी। यदि प्रिंट की संख्या को कम किया जाता है तो उसी अनुपात में सप्ताह की संख्या बढ़ जायेगी किंतु उक्त सीमा 200 प्रिन्ट वीक से अधिक नहीं होगी एवं उपभोग की पूरी अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी।

(3) मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के स्वामियों को इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के अन्दर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के दौरान, एस.जी.एस.टी. की धनराशि को घटा कर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जायेगा।

(4) ऐसी फिल्मों में आगणित राज्य माल और सेवा कर की धनराशि को, मल्टीप्लेक्स/ सिनेमाघरों के स्वामियों द्वारा अपने पास से राजकोष में उसी विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी, जैसे इस नीति के अतिरिक्त प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों हेतु विहित है।

कृपया तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

Digitally signed by
SHYAM PRAKASH NARAIN
Date: 27-02-2026
19:52:03

(श्याम प्रकाश नारायण)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० लखनऊ)।

2- श्री वीर कपूर, फिल्म निर्माता, "शतक-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष" ए०डी०ए०, 360 डिग्री एल०एल०पी०, एच-17, 2nd फ्लोर कैलाश कालोनी, दिल्ली (द्वारा आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० लखनऊ)।

3- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह०

(श्याम प्रकाश नारायण)
विशेष सचिव।

**कार्यालय आयुक्त, राज्य कर,**
**उत्तर प्रदेश।**

संख्या 1271 **/प्र0क0-2/2025-26** दिनांक 27 **फरवरी 2026**

**प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

**1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।**

2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

4. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0),राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

5. समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-1/नोडल अधिकारी(मनोरंजन कर कार्य) उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित समस्त मल्टीप्लेक्स/एकल छविगृह स्वामियों को इस शासनादेश से अवगत कराने हेतु, जिन मल्टीप्लेक्स/एकल छविगृह में इस शासनादेश के अंतर्गत उक्त फिल्म का प्रदर्शन किया जाता है, उक्त में इस शासनादेश दिनांक 06.02.2026 एवं शासनादेश दिनांक 03.12.2018 के क्रम में जारी कार्यालय परिपत्र दिनांक 22.04.2022 का भी अनुपालन सुनिश्चित करायें।

6. श्री वीर कपूर, निर्माता, फिल्म "शतक-राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष" एडीए 360 ड्रिग्री एलएलपी,एच-17 द्वितीय तल, कैलाश कालोनी, दिल्ली ।

7. गार्ड फाइल।

27/2/2026

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।